न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 417 सन 2018
अनवान :–

1. जाकिर हुसैन पुत्र सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम वादी

1. सफी मोहम्मद पुत्र ईसमाईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर
2. गफुर खां 3 गुलाब नबी 4 सलामुदीन पि0 सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. आसमा 6 शकुरा 7 मैना पुत्रीया सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28.9.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 139/125 के प0न0 327/408(36) के किला न0 16/1 की 0.1130हैक , 17/1 की 0.1260 ,24/0.2530 ,25/0.228 ,प0न0 0 मु0न0 40 के किला न0 9/2 की 0.1140हैक , 10/0.2530 ,11/1 की 0.2400हैक , 12/1 की 0.0630हैक प0न0 329/409(41) किला न0 6 ता 8/0.759हैक , 14 ,15/0.506हैक प0न0 327/409(43) किला न0 5 की 0.228हैक प0न0 0 मु0न0 63/15 के किला न0 0/1 की 0.0630हैक गै0मु0 खाला कुल 2.9460हैक भूमि स्थित है जिसके वादी के दादा ईसमाईल पुत्र रूकनदीन खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 161/157 के प0न0 326/410(72) के किला न0 1/0.228हैक , 2/0.228 ,3/0.227 ,8 ता 10/0.759हैक प0न0 0 मु0न0 88/51 के किला न020 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.5180हैक भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/92 के प0न0 315/396(71) के किला न0 16 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक भूमि स्थित है जिसके वादी के दादा ईसमाईल पुत्र रूकनदीन खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा ईसमाईल पुत्र रूकनदीन व उसकी धर्मपत्नि का देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने आपसी सहमति से विभाजन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 139/125 की कुल 2.9460हैक भूमि एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 161/157 की कुल 1.518हैक एवं चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/92 की कुल 2.5300हैक भूमि हिस्से में आई है। इसप्रकार वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने भी अपने हक हिस्सा की भुमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो वादी/प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं वादी के दादा इस्माईल पुत्र रूकनदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बरबार का हक हिस्सा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 जो वादी के पिता व बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 139/125 की कुल 2.9460हैक एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 161/157 की कुल 1.518हैक एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/92 की कुल 2.5300हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन करने हेतु 5000/– रूप्ये का स्टाम्प ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official